HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1060/2026

Danmal Tanwar S/o Late Gopi Lal Tanwar, Aged About 25 Years, R/o Village Mahuwa Kho, Post Devri Kala Police Station Aklera District Jhalawar Raj (At Present Confined Central Jail Jaipur Raj)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. R.B. Sharma Ganthola
For Respondent(s)	:	Ms. Arti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना आमेर, जिला–जयपुर शहर उत्तर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 05/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता व धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है तथा उसके आधिपत्य से 106.05 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है, जो व्यावसायिक मात्रा 250 ग्राम से कम है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व के तीन आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, लेकिन इसी प्रकृति का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रार्थी दिनांक 03.01.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अन्वेषण और अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण में अभियुक्त से 106.05 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। उनका तर्क है कि प्रकरण में अभी अनुसंधान पूर्ण

नहीं हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के तीन आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारों के तर्क–वितर्क पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त की विरुद्ध धारा 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता व धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अपराध का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से 106.05 ग्राम स्मैक बरामद किया जाना बताया गया है। **अभी प्रकरण में अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है और अन्वेषण जारी है।** अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /31